रमेश कुमार

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील सं. 2008 की 398)

27 फरवरी, 2008

(जस्टिस एस.बी.सिन्हा व जस्टिस वी.एस.सिरपुरकर)

सजा/सजा दिया जाना-आजीवन कारावास-विवाहित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का अपराध-अपीलीय अदालत द्वारा पुष्टि-अभियुक्तों में से एक के द्वारा इस अदालत में अपील-अभिनिर्धारितःमामले के तथ्यों में, सजा को कम करने वाली कोई परिस्थितियां नहीं- इसके अलावा, अपील करने वाले अभियुक्त के साथ ऐसे अभियुक्तों से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं- दण्ड संहिता 1860-धारा 376(2) (छ), धारा 506 सहपठित धारा 149 व धारा 148

अपीलार्थी - अभियुक्त व अन्य 5 अभियुक्तों ने मिलकर विवाहित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जिसके लिए उनके विरूद्ध धारा 376(2)(छ), धारा 506 सहपठित धारा 149 व धारा 148 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा चला। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया। तीनों अभियुक्तों सहित अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और शेष तीन अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास की। उच्च

न्यायालय ने सभी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा अभियुक्तगण के आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा। तथापि जिन अभियुक्तगण को 10 वर्ष के कारावास की सजा दी उनको उनकी भुगती हुई सजा पे लघुत्तर किया गया। इस न्यायालय के समय एक अभियुक्त (अपीलार्थी) द्वारा की गई, अपील में न्यायालय ने केवल सजा के प्रश्न पर नोटिस जारी किया।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:

इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र अभिवाक जो उठाया गया वह यह था कि अपीलकर्ता गरीब पृष्ठभूमि से आता है और यह कि उसके बूढे माता -पिता उसके साथ से वंचित हो जाएॅगें। गरीबी के तर्क के समर्थन में कोई भी सामग्री विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय व इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थी का पिता पिछले 20 वर्षों से सरपंच रहा है। इसके अतिरिक्त उदार दृष्टिकोण अपनाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता क्योंकि अभियुक्त की ओर से किए गये कायरतापूर्ण कार्य के कारण, जिसमें अपीलकर्ता ने 6 आरोपियों में से सक्रिय भाग लिया था वह उन तीन आरोपियों में से एक था, जिन्होने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। महिला एक विवाहित व्यक्ति थी और उसे अभियुक्त ने साथ चलने का झासां दिया जिसका जाहिर तौर पर बुरा इरादा था। घटना वाले दिन शाम को ही महिला के पति को उसकी शराब की लत का फायदा उठाकर बहला फुसलाकर ले जाया गया था और तभी महिला को अपने पति

को वापस लेने के लिए घर से बाहर आने का लालच दिया था। ऐसी परिस्थितियों में, सजा के मामले में कोई नरमी नही दिखाई जा सकती है। अपील के माध्यम से तीन अभियुक्तों में से केवल एक अभियुक्त व्यक्ति आया है, उसके साथ आजीवन कारावास की सजा काट रहें अन्य लोगों से अलग तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता (पैरा 9) (495 - डी जी ;496-ए)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं.98/2008

उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा, चण्डीगढ के अपील संख्या 127-डी.बी./2001 में निर्णय व अंतिम आदेश दिनांक 26.04.2006 से।

ए. के. सिंह और निकलेश रामचन्द्रन, अपीलार्थी की ओर से

राजीव गौर 'नसीम', राजेश राजन और टी. वी. जॉर्ज, प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय जस्टिस वी.एस.सिरपुरकर द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के द्वारा दायर की गयी है जिन्हें भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376(2) (छ), धारा 506 सहपठित धारा 149 व धारा 148 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। शुरूआत में 6 अभियुक्तों पर धारा 376(2) (छ), धारा 506 सहपठित धारा 149 व धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा सत्र न्यायालय के समक्ष चलाया गया

जिसमें आरोप है कि 5 और 6 फरवरी, 1999 के मध्य रात्रि में गावं राजापुर में उन्होंने श्रीमती निर्मला देवी पत्नि लालचंद के साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह आरोप भी लगाया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने एक गैर कानूनी सभा का गठन किया और ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के लिए उन्होंने अ ापराधिक रूप से निर्मला को धमकाया और दंगा करने का भी अपराध किया। सत्र न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया और वीरभान (ए-1) , अजमेर सिंह (ए-3) और रमेश (ए-4) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2) (छ) के तहत अपराध के लिए सजा सुनायी और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन तीनों ने अभियोक्त्री निर्मला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। तद्नुसार उन्हें आजीवन कठोर कारावास और प्रत्येक को 10,000/-रूपये का जुर्माना भरने की सजा सुनायी और जुर्माना अदा न करने पर तीन साल के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई गयी। यह निर्देश भी दिया गया था कि जुर्माना वसूल होने पर अभियोक्त्री को मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाए। अन्य तीन अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात बगीचा (ए-2), राजू (ए-5) और सूरजभान उर्फ सुरजा (ए-6) को, हालांकि दोषी ठहराये गये थे, उपरोक्त अपराधाें के लिए दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी और साथ ही प्रत्येक को 10,000/-रूपये का जुर्माना देना और जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन साल के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताने की सजा सुनायी। सभी आरोपी व्यक्तियों को धारा 506 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के लिए दो साल के कठाेर कारावास की सजा भी सुनायी गयी और

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध के लिए दो साल का कठोर कारावास दिया गया। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

3. सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसमें उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सभी अपीलकर्ताओ के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप साबित हुए थे। हालांकि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त बगीचा (ए-2), राजू (ए-5) और सूरजभान उर्फ सुरजा (ए-6) के मामले में थोड़ा नरमी का रूख अपनाया क्योंकि उन्होंने अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध नहीं बनाए थे। उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि वे लगभग चार साल तक सलाखों के पीछे थे और इसलिए उन्हें पहले की भुगती हुई सजा के आधार पर छोड़ दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय ने वीरभान (ए-1) , अजमेर सिंह (ए-3) और रमेश कुमार (ए-4), जिन्होंने बलात्कार का कृत्य किया था, के मामले में कोई नरमी नहीं दिखायी और उनकी आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की।

4. अब उपरोक्त तीन अभियुक्त व्यक्तियों में से केवल रमेश (मूल अभियुक्त संख्या 4) इस न्यायालय के समक्ष आया है। इस न्यायालय ने अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया और केवल सजा के प्रश्न पर नोटिस जारी किया गया।

5. हालांकि एक सीमित नोटिस जारी किया गया था, विद्वान अधिवक्ता ने दोषमुक्त करने के लिए निवेदन किया। उनके मुताबिक

बलात्कार या उससे भी गंभीर अपराध सामूहिक बलात्कार का अपराध साबित नहीं हुआ। यह भी आग्रह किया गया था कि चूंकि अपीलार्थी लगभग नौ साल की कैद भुगत चुका है इसलिए न्यायालय को नरमी का रूख अपनाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अभियोक्त्री घायल नहीं हुई थी, हालांकि उसके साथ कथित तौर पर तीन लोगों ने बलात्कार किया था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया कि आरोपी रमेश के माता-पिता बूढ़े हैं और अपीलार्थी के सलाखों के पीछे होने के बाद से नौ साल से अधिक समय तक उनके बेटे के साथ से वंचित है।

6. चूंकि सजा के संबंध में केवल एक सीमित सूचना जारी की गई थी इसलिए अभियोजन कहानी व उसके समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा दिये गये साक्ष्य पर विस्तार रूप से विचार नहीं करना है। हालाँकि, सजा के प्रश्न पर निर्वचन हेतु कुछ तथ्यों पर विचार करना है।

7. कथित घटना 5 और 6 फरवरी, 1999 की मध्य रात्रि को घटित होना प्रतीत होती है। आरोप है कि अभियोक्त्री का पति शराब पीने का आदी था और 5 फरवरी, 1999 की शाम को सूरज भान उर्फ सुरजा (ए-6) अभियोक्त्री के घर आया और उसके पति को साथ ले गया। फिर रात को लगभग 11 बजे उसका दरवाजा खटखटाया गया और दरवाजा खोलने के बाद उसने देखा कि वीर भान (ए-1) वहां मौजूद था और उसने उससे कहा कि उसका पति नशे की हालत में पड़ा हुआ है और इसलिए उसे वापस लाना चाहिए। अभियोक्त्री कथित

तौर पर वीर भान (ए-1) के साथ गयी थी जो उसे एक मुक्तियार फौजी के खेत में इंजन के पास ले गया जहाँ अन्य अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् बागीचा(ए-2), सुरजा (ए-6), रमेश (ए-4), अजमेर (ए-3) और राजू (ए-5)पहले से ही मौजूद थे। अभियोक्त्री ने प्रत्येक अभियुक्त की पहचान की क्योंकि वह उनसे परिचित थी। जब उसने अपने पति के बारे में पूछा तो वीर भान(ए-1) द्वारा उसे धमकी दी गई थी कि अगर शोर मचाया तो वह अपनी जान गंवा देगी। इसके बाद वीर भान(ए-1) ने उसके कपड़े उतार दिये और फिर वीर भान (ए-1), अजमेर(ए-3) और रमेश (ए-4) (वर्तमान अपीलार्थी) ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। जबकि अन्य तीन अभियुक्त उसे डराते रहे। इसके बाद वीर भान (ए-1) उसे वापस उसके घर ले गया। और फिर से उसे धमकी दी गई कि वह घटना के बारे में किसी को ना बताए, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। अगले दिन जब उसका पति घर आया तो उसने अपने पति को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उसने अपने माता पिता के साथ सदर पानीपत पुलिस थाना में जाकर एफ.आई.आर दर्ज करायी। इसके बाद उन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया और महिला चिकित्सक द्वारा जाँच की गई थी। अंततः अभियुक्तों को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन सभी को दिनांक 15.02.1999 को चिकित्सकीय जाँच के लिए भेजा गया। वे सभी यौन संबंध बनाने के लिए उपयुक्त पाये गये। अभियुक्तों के कपड़े भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गये और यह पाया गया कि अभियोक्त्री की सलवार, योनि के स्वाब और अभियुक्त रमेश (वर्तमान अपीलकर्ता) और अभियुक्त अजमेर के

अंडरवियर पर वीर्य के धब्बे थे। अभियोजन पक्ष ने निर्मला अभियोक्त्री, निर्मला के पति, ज्ञानचंद के बेटे लाल चंद और जांच अधिकारी पृथ्वी सिंह की साक्ष्य करायी गयी। कुछ गवाहों को छोड़ दिया गया। जबकि डाॅ. के.एल.चौपड़ा जिन्होंने आरोपी वीर भान और राजू से पूछताछ की थी, डाॅ. एस.के. गुप्ता जिन्होंने आरोपी रमेश कुमार, अजमेर, सूरजभान और बगीचा की जाचं की थी, की साक्ष्य करायी गयी। अभियुक्तों ने अपराध में अपनी भागीदारी से इंकार किया और वर्तमान अपीलार्थी ने दावा किया कि घटना की तारीख को वह गावं में मौजूद नहीं था । यह उसकी साक्ष्य थी कि राधु राम, उनके पिता पिछले 20 वर्षों से सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे और एक दीवान चंद उनके पिता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था और चूंकि उनके पिता चुनाव जीत रहे थे, इसलिए उक्त दीवान चंद की अभियुक्त के खिलाफ एक दुर्भावना थी। साक्ष्य के आधार पर और विशेष रूप से अभियोक्त्री निर्मला के साक्ष्य के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया।

8. अब इस पर विचार नहीं करना है कि क्या अपीलार्थी को उचित रूप से दोषी ठहराया गया था। क्योंकि यह प्रश्न इस तथ्य काे दृष्टिगत रखते हुए नही रह जाता है कि इस न्यायालय ने सजा के संबंध में केवल सीमित नोटिस जारी किया था व यह दृष्टिकोण रखते हुए कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय के द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के निर्णय में कुछ भी गलत नहीं है। प्रश्न केवल सजा के बिन्दु का है।

9. इस मामले में निचली अदालतों ने तीन अभियुक्तों के खिलाफ अधिकतम सजा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हमारे सामने एकमात्र अभिवाक यह उठाया गया था कि अपीलकर्ता रमेश गरीब पृष्ठ भूमि से आता है और उसके बूढ़े माता-पिता उसके साथ से वंचित हो जाएँगे। गरीबी के तर्क के समर्थन में कोई भी सामग्री विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय व इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस तथ्य को देखे कि अपीलार्थी के पिता पिछले 20 वर्षों से सरपंच हैं। फिर भी विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों की आेर से कायरतापूर्ण कार्य के कारण जिसमें अपीलार्थी ने छ अभियुक्तों में से सक्रिय भाग लिया था, नरमी का रूख अपनाने का सवाल उत्पन्न नहीं होता क्योकि वह उन तीन अभियुक्तों में से एक था, जिन्होंने महिला के साथ बलात्कार किया था। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि महिला एक विवाहित व्यक्ति थी और उसे आरोपी ने उसके साथ जाने के लिए छल किया गया जो स्पष्ट रूप से एक बुरा ईरादा था। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि घटना वाले दिन शाम को महिला के पति को उसकी शराब की लत का फायदा उठाकर लालच दिया गया था और बहलाकर ले जाया गया था और महिला को अपने पति को वापस लाने के लिए घर से बाहर आने का लालच दिया था। महिला का पति नशे की हालत में पड़ा था व असहाय विवाहित महिला जिसके पति के नशे में रहने का फायदा उठाकरउसे घर से बाहर निकाला गया था। उसके साथ तीन व्यक्तियों ने घृणित तरीके से बलात्कार किया जिनमें से एक अपीलकर्ता था। ऐसी परिस्थितियों में, सजा के मामले में कोई

नरमी नही दिखाई जा सकती है। अपील के माध्यम से तीन अभियुक्तों में से केवल एक अभियुक्त व्यक्ति सामने आया है, उसके साथ आजीवन कारावास की सजा काट रहें अन्य लोगों से अलग तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता।

10. जहां तक सजा का प्रश्न है, इन परिस्थितियों में हम विचारण और अपीलीय न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। इस अपील में कोई सार नहीं है और एतदद्वारा खारिज की जाती है।

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कांता कुमारी, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।